**मध्यप्रदेश शासन,**
**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**
**मंत्रालय,**
**वल्लभ भवन, भोपाल–462004**

**क्रमांक/** D-15/44/17/14-3 **भोपाल,दिनांकः** 24 **/04/2018**

**प्रति,**

1. **समस्त कलेक्टर,**
2. **समस्त संभाग आयुक्त**
   **मध्य प्रदेश**

विषयः– मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना (खरीफ–2017) के माह अक्टूबर, 2017 से माह जनवरी, 2018 के लिए सूक्ष्म परीक्षणोपरांत अंतिम मांग पत्र प्रेषित किए जाने विषयक।

संदर्भः– माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 21/04/2018 को वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के क्रम में।

––00––

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना खरीफ–2017 में मक्का की विक्रय अवधि 31 जनवरी, 2018 को समाप्त हो चुकीं हैं। सोयाबीन, उडद, मूंग एवं मूंगफली की 31 दिसम्बर 2017 या उससे पूर्व विक्रय अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी जिलों द्वारा भावांतर राशि का निपटान नहीं होने तथा उसी अवधि का बार–बार आवंटन पृथक–पृथक मांगने की स्थिति निर्मित हो रहीं है तथा विक्रय अवधि में पंजीकृत किसानों द्वारा विक्रय की गई कृषि फसल की भावांतर की राशि समस्त कृषकों को नहीं भुगतान होने की स्थिति में अनेकों स्थान पर है।

उपरोक्त संदर्भित वीडियों काफ्रेसिंग में चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के क्रम में विचारोंपरांत राज्य शासन द्वारा निम्न निर्णय लिए गए है :–

1. दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 के बीच मक्का, उड़द, सोयाबीन, मूंग एवं मूंगफली की उनके लिये नियत विक्रय अवधि में विक्रय की गई फसल के **शेष किसानों के भावांतर की गई राशि की गणना कर दिनांक 28.04.2018 तक जिला कलेक्टर संलग्न प्रोफार्मा में जानकारी संचालक (कृषि) को अंतिम मांगपत्र आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रेषित करें।** प्रस्ताव की प्रति प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डीबोर्ड) को दी जावें। दिनांक 28/04/2018 के पूर्व प्रेषित उक्त अवधि के समस्त शेष बचे लाभान्वित एवं पात्र किसानों को आवंटन प्रदाय करने पर दिनांक 05/05/2018 तक आवश्यक रूप से राशि पंजीकृत पात्र किसान के बैंक खाते में जमा करा दी जावें। दिनांक 28/04/2018 के उपरांत उक्त अवधि के देय अथवा लम्बित भुगतान के लिए आवंटन/मांगपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त अवधि के भुगतान नहीं हो पाने की समस्त जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भावांतर योजना के लिये गठित जिला स्तरीय क्रियांवयन समिति की होगी।

2. मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के जिला स्तर पर लम्बित समस्त शिकायतों के आवेदनों का विधिवत निराकरण तथा नियमपूर्वक निदान दिनांक 05/05/2018 से पूर्व सुनिश्चित किया जावेगा। मुख्यमंत्री हैल्पलाईन में लंबित मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की समस्त शिकायतों का निराकरण एल–1 स्तर पर जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में दिनांक 05/05/2018 से पूर्व विधिवत निराकरण कर पोर्टल पर दर्ज कराया जावेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्रियान्वयन आवश्यक रूप से समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

संलग्न :– प्रोफार्मा प्रारूप

24/4/18

**(जितेन्द्र सिंह परिहार)**
अवर सचिव
म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / 15/44 / 2018-14-3 भोपाल, दिनांकः 24/4/18

प्रतिलिपि –

1. विशेष कर्तव्य अधिकारी, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0।
2. विशेष कर्तव्य अधिकारी, माननीय राज्य मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यपदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. विशेष कर्तव्य अधिकारी, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल।
11. संभाग आयुक्त, समस्त संभाग, म0प्र0।
12. आयुक्त (संस्थागत वित्त) म.प्र. भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
14. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
15. एस.आई.सी (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र –एन.आई.सी.) भोपाल।
16. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग–समस्त।
17. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला– समस्त पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/4/18

**अवर सचिव**

**म.प्र. शासन**

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**

**मंत्रालय भोपाल**